

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 723/2018

जिला.....

अलवर.....

उनवान- मैसर्स इन्द्रावती पत्नि स्व. श्री हंसराज यादव, अलवर बनाम राज. सरकार जरिये उपपंजीयक, भिवाडी, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
31.10.2018	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता वकील के प्रतिनिधि श्री अमित कासोटिया व अप्रार्थी विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>निगरानीकर्ता वकील के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में निगरानीकर्ता, राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण हस्तगत प्रकरण को विद्धान करने की अनुमति चाहते हैं। इस पर विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>निगरानीकर्ता वकील के अधिकृत प्रतिनिधि के लिखित प्रार्थना के अनुरोध पर प्रकरण विद्धान करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रस्तुत निगरानी जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">↓ सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	